

उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद की 221वीं बैठक
दिनांक 23.08.2012 का कार्यवृत्त

उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद की 221वीं बैठक परिषद अध्यक्ष श्री शम्भू नाथ शुक्ला की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहे :-

1-	श्री शम्भू नाथ शुक्ला	माननीय अध्यक्ष, उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद	अध्यक्ष
2-	श्री पी.वी. जगनमोहन	आवास आयुक्त, उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
3-	श्री वी.के.एल. श्रीवास्तव	विशेष सचिव, प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, वित्त	सदस्य
4-	श्री हरेन्द्र सिंह विष्ट	अनु सचिव, प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, नगर विकास	सदस्य
5-	श्रीमती नीरजा कृष्णा	संयुक्त निदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो निदेशालय	सदस्य
6-	श्री एन०आर०वर्मा	मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उ०प्र०	सदस्य
7-	श्री एम०एस०सिद्दीकी	वित्त नियंत्रक	सदस्य
8-	श्री जी०एस० गोयल	मुख्य वास्तुविद नियोजक	सदस्य
9-	श्री आर०के०शुक्ला	अधीक्षण अभियन्ता प्रतिनिधि उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ	सदस्य
10-	श्रीजे०पी०एन०द्विवेदी	उप सचिव प्रतिनिधि विशेष सचिव, कार्मिक विशेष आमंत्रि	सदस्य

सर्वप्रथम आवास आयुक्त, उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद ने निदेशक मण्डल तथा आवास एवं विकास परिषद की ओर से अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया। परिषद बैठक की विषय सूची में सम्मिलित विभिन्न मदों पर निम्न प्रकार निर्णय लिये गये।

विषय सूची

मद सं०	विषय	निर्णय
221/1	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद 221वीं बैठक हेतु उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण	प्रस्ताव अवलोकित किया गया
वित्त एवं लेखानुभाग		
221/2	परिषद कार्मिकों के लिये सी०पी०एफ० योजना के स्थान पर पेंशन/ पारिवारिक पेंशन एवं ग्रेच्युटी योजना लागू किये जाने के संबंध में।	मा० उच्चतम न्यायालय के निर्णय तक स्थगित किये जाने का निर्णय लिया गया।
221/3	वित्तीय वर्ष 2011-12 के वास्तविक एवं वित्तीय वर्ष 2012-13 के प्रस्तावित आय-व्यय अनुमान हेतु टिप्पणी।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया

प्रशासन अनुभाग

221/4	मुख्य अभियन्ता के पद पर पदोन्नति हेतु अधीक्षण अभियन्ता के रूप में 05 वर्ष की सेवा अवधि की अनिवार्यता को शिथिल किए जाने के संबंध में।	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद (एप्वाइंटमेंट एण्ड कंडीशन्स आफ सर्विस आफ चीफ इंजीनियर) रेगुलेशन्स-1990 के विनियम-20 के अनुसार, उ०प्र० सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली-2006 के पैटर्न को अपनाते हुए संदर्भित अधीक्षण अभियन्ताओं के सम्बंध में अधीक्षण अभियन्ता के पद पर 05 वर्ष की अर्हकारी सेवा में डेढ़ वर्ष की अवधि को शिथिल किये जाने का निर्णय लिया गया।
-------	--	---

समन्वय कोष

221/5	परिषद कार्मिकों एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ के माध्यम से कैंशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।	शासन में केवल सचिवालय कार्मियों के लिए यह सुविधा उपलब्ध होने के कारण संयुक्त निदेशक सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो से परीक्षण कराने का निर्णय लिया गया।
-------	--	---

प्रशासन अनुभाग

221/6	अभियंत्रण संवर्ग के कैंडर रिव्यू/स्थाई स्टाफ स्ट्रेंथ के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।	परिषद के सभी संवर्गों के कैंडर रिव्यू के प्रस्ताव पर परीक्षण हेतु अपर आवास आयुक्त एवं सचिव, संयुक्त निदेशक, सार्वजनिक उद्यम विभाग, संयुक्त सचिव, कार्मिक एवं संयुक्त सचिव, वित्त की एक उपसमिति गठित किये जाने का निर्णय लिया गया, समिति की संस्तुति को परिषद की बैठक में प्रस्तुत किया जाय।
-------	--	---

भूमि अर्जन अनुभाग

221/7	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की दिल्ली-सहारनपुर मार्ग भूमि विकास एवं ग्रहस्थान योजना गाजियाबाद की अधिग्रहीत भूमि के भूस्वामियों की माँगों के सम्बन्ध में।	प्रकरण पुनः परीक्षण करके आगामी बैठक में रखे जाने हेतु निर्णय लिया गया।
221/8	सिविल अपील सं0 3153 आफ 2012 (SLP(C) सं0 31935/2011) नरसिंह प्रसाद बनाम ए0के0 जैन व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 27.03.2012 के समादर के सम्बन्ध में।	मुख्य अभियंता के पद पर नियमित चयन की कार्यवाही से सहमत होते हुए शासन को आज ही प्रस्ताव भेजे जाने का निर्णय लिया गया।
221/9	कार्य प्रभारित कर्मचारियों को छठा वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में।	कार्य प्रभारित कर्मचारियों में षष्ठम वेतनमान की संतुतियों को लागू किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि शासन को इस सम्बन्ध में अनुस्मारक भेजा जाय।
221/8	मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य विषय।	-

(रुद्र प्रताप सिंह)

अपर आवास आयुक्त एवं सचिव

(पी0वी0जगनमोहन)

आवास आयुक्त

अनुमोदित

(शम्भू नाथ शुक्ला)

अध्यक्ष

शुद्धि की प्रतीति
अध्यक्ष